अध्याय–IV

निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

निगरानी एवं पर्यवेक्षण

4.1 योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण विभिन्न स्तरों पर किया जाना था। डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में एकल स्तरीय निगरानी तंत्र की व्यवस्था थी।

डिस्कॉम्स स्तर पर	•डिस्कॉम्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशिष्ट टीम बनाएगी जिससे सुचारू कार्यान्वयन, निगरानी एवं परियोजना क्षेत्रों की जनता एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो सके। •विशिष्ट टीम में से एक मुख्य अभियन्ता स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वन के लिए उत्तरदायी होगा, परियोजनाओं से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित सभी आवश्यक सूचना प्रदान करेगा, राज्य सरकार से प्रासंगिक आदेश/मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, जागरूकता के स्तर को बढाएगा एवं परियोजना क्षेत्रों में जनता एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण करेगा
राज्य स्तर पर	•राज्य प्रगति निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने एवं स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों यथा सब स्टेशनों के लिए भूमि का आवंटन, मार्ग का अधिकार, वन मंजूरी, रेल मार्ग मंजूरी, सुरक्षा मंजूरी इत्यादि का समाधान करने के लिए एसएलएससी का गठन करेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर	•आरईसी कार्यों की गुणवत्ता सहित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करेगा। •आरईसी परियोजना कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष सेवाओं हेतु बाहरी एजेंसियों/श्रम-शक्ति की नियुक्ति करेगा।

राज्य में डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण में देखी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

जिला विद्युत समिति की सहभागिता

4.2 एमओपी के आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के अनुसरण में जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की प्रणाली को संस्थागत बनाने हेतु, राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा एवं निगरानी के लिए राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला विद्युत

समिति[59] (डीईसी) अधिसूचित की (15 मई 2015)। डीईसी के गठन का मुख्य उद्देश्य परियोजना के निर्माण से लेकर निष्पादन एवं निगरानी तक के पूर्ण जीवन चक्र में जन प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से नियुक्त रखना था। साथ ही, डीईसी को डीपीआर तैयार किए जाते समय परामर्श देने एवं जिले में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी अर्थात विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, उपभोक्ता संतुष्टि, ऊर्जा दक्षता को बढावा देना एवं ऊर्जा संरक्षण की समीक्षा करना था सदस्य सचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना था कि अपेक्षित बैठकें आयोजित हों एवं बैठक आयोजित किए जाने का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन आरईसी को भेजा जाना भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने मूल डीपीआर (जयपुर डिस्कॉम-नौ परियोजनाऐं, जोधपुर डिस्कॉम-एक परियोजना) तैयार किए जाने से पूर्व डीईसी से परामर्श नहीं किया था। साथ ही,13 संशोधित डीपीआर (जयपुर डिस्कॉम-एक परियोजना, अजमेर डिस्कॉम-दो परियोजनाएं, जोधपुर डिस्कॉम-10 परियोजनाएं) तैयार किए जाने में भी डीईसी से परामर्श नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने किसी भी आगामी त्रैमासिक बैठकों का आयोजन नहीं किया था जबकि जोधपुर डिस्कॉम ने मार्च 2017 एवं जुलाई 2018 के मध्य मात्र पांच बैठकें (जैसलमेर परियोजना में चार एवं बीकानेर परियोजना में एक) आयोजित की थी।

इस प्रकार, डीईसी की इन यदा-कदा बैठकों के कारण, डीईसी के गठन अर्थात परियोजना के निर्माण से लेकर निष्पादन एवं निगरानी तक के पूर्ण जीवन चक्र में जन प्रतिनिधि की सहभागिता का मूल उद्देश्य विफल रहा। साथ ही, सभी तीनों डिस्कॉम्स ने डीईसी की त्रैमासिक बैठकों का नियमित रूप से आयोजन न करके एमओपी, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया।

सरकार ने स्वीकार किया कि डीईसी की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी। इसने आगे कहा कि संबधित जिला कलेक्टरों द्वारा वृत्त स्तर पर आयोजित सामयिक/मासिक बैठकों के माध्यम से प्रशासनिक प्राधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। साथ ही, जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र के दौरे के दौरान कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स ने डीईसी की त्रैमासिक बैठकों को पृथक से आयोजित करना सुनिश्चित नहीं किया था जो डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। इसलिए, डीईसी के गठन का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया था।

एसएलएससी को भौतिक प्रगति प्रस्तुत न करना

4.3 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएलएससी को स्वीकृत कार्यों की प्रगति की निगरानी करनी आवश्यक थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रारंभ में, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतगर्त निष्पादित कार्यों की भौतिक प्रगति (जून 2017 एवं अक्टूबर 2018 के मध्य) एसएलएससी को प्रतिवेदित की थी। तत्पश्चात, कार्यों की भौतिक प्रगति एसएलएससी को प्रस्तुत

59 जिले में सबसे वरिष्ठ वर्तमान संसद सदस्य (एमपी)-अध्यक्ष, अन्य वर्तमान संसद सदस्य-सह अध्यक्ष, जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट-संयोजक, जिला पंचायत अध्यक्ष/सभापति-सदस्य, जिले के वर्तमान विधायक-सदस्य, ऊर्जा, कोयला एवं एनआरई मंत्रालय, यदि संबंधित जिले में स्थित है, के सीपीएसयूज के वरिष्ठतम प्रतिनिधि-सदस्य एवं डिस्कॉम्स के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता-सदस्य सचिव।

किया जाना नहीं पाया गया था। परिणामस्वरूप, एसएलएससी के गठन का मूल उद्देश्य अर्थात भौतिक प्रगति की निगरानी करना एवं निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना विफल हो गया था।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया कि कार्यों की भौतिक प्रगति नियमित रूप से एसएलएससी को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि नियमित प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं किए जाने ने एसएलएससी के गठन के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया। साथ ही, एसएलएससी के विचार/निर्देश डिस्कॉम्स को योजना के निष्पादन में बाधाओं के निराकरण हेतु त्वरित एवं प्रभावी उपाय करने में मदद मिल सकती थी।

कार्यों के निष्पादन में पाई गई कमियों की चर्चा **अध्याय–II एवं III** में की गई है। जबकि निगरानी एवं पर्यवेक्षण में चूक की चर्चा नीचे की गई है

गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

4.4 गुणवत्ता आश्वासन के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित तंत्र प्रदान करतें हैं:

डिस्कॉम्स

- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी एवं जवाबदेह।
- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों हेतु, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना कार्यों के उद्देश्य से एक विस्तृत व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार करना।
- क्यूए एवं निरीक्षण योजना टर्नकी ठेकेदार या उपकरण आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग होगी।
- कार्यस्थल पर आपूर्ति की गई सामग्री/उपकरणों की गुणवत्ता एवं क्षेत्र में किए कार्यों का निष्पादन क्रमशः निर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी)/ गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जीटीपी) एवं क्षेत्र गुणवत्ता योजना (एफक्यूपी)/अनुमोदित ड्राइंग/डेटा शीटों के अनुरूप सुनिश्चत करना।
- गुणवत्ता आश्वासन दस्तावेज

आरईसी

- प्रापण की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बाहय स्वतंत्र एजेंसियों को आरईसी गुणवता मॉनिटर (आरक्यूएम) के रूप में नामित करना।
- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच।
- आरक्यूएम न्यूनतम 10 प्रतिशत सामग्री वाले एकल लॉट में, यादृच्छिक छह सामग्री का प्रेषण पूर्ण निरीक्षण निर्माता कार्यशालाओं में करेगा।
- आरक्यूएम परियोजना में किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी करेगा।

गुणवत्ता आश्वासन में डिस्कॉम्स का निष्पादन

4.5 एमओपी द्वारा जारी गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) पूर्णतया उत्तरदायी एवं जवाबदेह थे।

डिस्कॉम्स द्वारा एक प्रभावी एवं दक्ष गुणवत्ता आश्वासन तंत्र विकसित करने में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

गुणवत्ता आश्वासन योजना

4.6 एक प्रभावी एवं दक्ष गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के लिए, डिस्कॉम्स को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से विस्तृत व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने कार्यों को प्रदान किए जाने से पूर्व क्यूए योजना स्वयं तैयार करने के स्थान पर, क्यूए योजना के कार्य का उनके द्वारा नियुक्त पीएमए को सौंपा (मार्च/मई 2017)। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के पीएमए ने मई 2017 एवं अक्टूबर 2017 में क्यूए योजना प्रस्तुत की जबकि जयपुर डिस्कॉम के पीएमए ने दिसंबर 2017 में क्यूए योजना प्रस्तुत की। इन पीएमए द्वारा प्रस्तुत क्यूए योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र, पीएमए द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति, निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश, गुणवत्ता आश्वासन के लिए जांच सूची एवं निरीक्षण के लिए प्रारूप अर्थात क्षेत्र गुणवत्ता निरीक्षण के साथ-साथ मासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स गुणवत्ता आश्वासन जांच एवं कार्य निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के परीक्षण के संबध में गुणवत्ता आश्वासन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं कर सके क्योंकि इस संबंध में कई कमियां पायी गई थी जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों की गई है:

गुणवत्ता आश्वासन जाँच

4.7 गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) के दिशानिर्देशों में भी क्यूए जांचों अर्थात सभी सामग्रियों का प्रेषण-पूर्व 100 प्रतिशत निरीक्षण, गांवों का समस्त अवसंरचना सहित सत्यापन, निर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी)/अनुमोदित ड्राइंग/तकनीकी विनिर्देश/डेटाशीट/गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जीटीपी)/क्षेत्र गुणवत्ता योजना (एफक्यूपी)/ अनुमोदित सर्वेक्षण ड्राइंग/लेआउट के अनुसार सभी 66/11 या 33/11 केवी सब स्टेशनों (नया एवं संवर्धित) की सामग्री की गुणवत्ता के साथ-साथ क्षेत्र में कार्यों के निर्माण में ठोस अनुपालना पर जोर दिया गया है। साथ ही, सभी बीपीएल घरों को जारी किए गए कनेक्शनों, सभी बनाए गए फीडर एवं प्रयुक्त सामग्री के साथ-साथ एवं योजना के अन्तर्गत मीटरिंग, सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा तंत्र सुदृढीकरण में किए गए कार्यों का 100 प्रतिशत सत्यापन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना निष्पादन के दिन-प्रतिदिन के दौरान गुणवत्ता जांचों की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स एवं परियोजनाओं के संबंधित टर्नकी ठेकेदार उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएमए ने, उनके मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में, कार्यों के निष्पादन में अत्यधिक अधिक संख्या में गैर-अनुरूपताओं को इंगित किया। इन दोषों मुख्य रूप से अर्थिंग रॉड का उपयोग नहीं करना, वितरण ट्रांसफार्मर के स्वंभों पर ढीले तार, स्वंभों के गडढों को ठीक से नहीं भरना, कम गहराई पर स्वंभे लगाना, गैल्वनाइज्ड इंसुलेटेड तार का उपयोग न करना, क्लैंप के बिना केबल लगाना,इत्यादि सम्मिलित है। साथ ही, बीपीएल लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने में प्रयुक्त सामग्री की खराब गुणवत्ता के उदाहरण भी पाए गए थे क्योंकि किट

की कुछ मदें या तो उपलब्ध नहीं करवायी गई थी अथवा किट मदें टूटी हुई स्थिति में पाई गई थी जैसा कि **अनुच्छेद 6.5** में चर्चा की गई है। इसने इंगित किया कि डिस्कॉम्स एवं संबंधित टर्नकी ठेकेदारों ने एमक्यूपी/डेटाशीट/जीटीपी/ अनुमोदित ड्राइंग/तकनीकी विनिर्देशों एवं एफक्यूपी के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गांव अवसंरचना के 100 प्रतिशत सत्यापन के क्यूए दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि सामग्री के प्रेषण पूर्व निरीक्षण 100 प्रतिशत किए गयो थे एवं अवसंरचना का निर्माण जीटीपी/विनिर्देशों/ड्राइंग के अनुसार किया गया था। बीपीएल लाभार्थियों को जारी किये गए नए विद्युत कनेक्शनों में प्रयुक्त सामग्री की भी जांच की गई थी तथा खराब सामग्री का फर्मों द्वारा प्रतिस्थापन किया गया था। साथ ही, पीएमए द्वारा देखी गई सभी गैर-अनुरूपताओं को पूर्व में ही ठीक कर दिया गया था।

उत्तर में लेखापरीक्षा में उजागर किए गए मुददे को संबोधित नहीं किया गया था क्योंकि पीएमए ने अत्यधिक संख्या में गैर-अनुरूपताओं को इंगित किया जो दर्शाता है कि क्यूए दिशानिर्देशों के अनुसार गांव अवसंरचना का सत्यापन नहीं किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण

4.8 प्रेषण-पूर्व निरीक्षणों के दौरान 100 प्रतिशत गुणवत्ता जांच की शर्त के अतिरिक्त, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 21अ प्रत्येक डिस्कॉम्स के भण्डार में प्राप्त सामग्री का केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में नमूना परीक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही, जीसीसी के वाक्यांश 21स में कार्यस्थल से ली गई सामग्री का यादृच्छिक नमूना परीक्षण सीटीएल में किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बोली दस्तावेज के खण्ड-III में परिभाषित सामग्री की मदों की तकनीकी विशिष्टताएं भी सामग्री का सीटीएल में परीक्षण का प्रावधान करती हैं। भण्डारों पर प्राप्त सामग्री में से चयनित नमूनों का सीटीएल से सफल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही आपूर्ति/निर्माण का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि

(i) डिस्कॉम्स ने इस तर्क पर कि मार्च 2018 तक सभी को विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आरएचएच कनेक्शन को शीघ्रता से जारी किए जाने की आवश्यकता थी तथा सामग्री का गुणवत्ता आश्वासन पूर्व से ही निरीक्षण अधिकारियों द्वारा विक्रेता की कार्यशाला पर किया जा रहा था, योजना के अन्तर्गत कनेक्शन जारी किए जाने हेतु आवश्यक सभी सामग्रियों, तीन मदों (डीटी, एबी केबिल, 2सी X 4 केबिल) को छोडकर, के सीटीएल परीक्षण की आवश्यकता में छूट प्रदान की (सितम्बर/अक्टूबर 2017)।

अविद्युतीकृत आरएचएच को कनेक्शन जारी किए जाने में पायी गई कमियों की चर्चा **अनुच्छेद 2.15** में की गई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए गये आदेश अस्पष्ट थे क्योंकि मदें जिनमें सीटीएल परीक्षण में छूट दी गई थी, निर्दिष्ट नहीं थी। इस अस्पष्टता के कारण, जयपुर डिस्कॉम के वृत्त कार्यालयों ने अलग-अलग व्याख्या की थी एवं इसलिए सीटीएल में परीक्षण नहीं किए जाने हेतु चुनी गई मदों में भिन्नता थी। जयपुर डिस्कॉम की दो चयनित परियोजनाओं (भरतपुर एवं टोंक) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि भरतपुर वृत्त ने क्रमशः मार्च 2018

तक एवं मार्च 2018 के पश्चात सात[60] मदों एवं नौ[61] मदों का परीक्षण नहीं किया था जबकि टोंक वृत्त ने 35 मदों का परीक्षण नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जयपुर डिस्कॉम में यह छूट मार्च 2018 के पश्चात भी जारी थी।

साथ ही, भरतपुर वृत्त के अनुरोध पर, टर्नकी कार्य (टीडब्लयू) शाखा ने इस तथ्य की अवहेलना करते हुए कि प्रचलित आदेशों के अनुसार इन तीन मदों में कोई छूट नहीं दी जानी थी टीएन-384 के अन्तर्गत मैसर्स वोल्टास लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त मदों अर्थात 2सी X 4 एमएम वर्ग एक्सएलपीई केबिल (76.327 किमी), एबी केबिल (72.395 किमी) एवं 16 केवीए एकल फेज डीटी (200 नंबर) के सीटीएल में परीक्षण किए जाने की आवश्यकता में छूट प्रदान की (अगस्त/सितंबर 2018)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मैसर्स वोल्टास द्वारा उपयोग की गई इन तीनों मदों में से एक यथा 2सी X 4 एमएम वर्ग एक्सएलपीई केबिल (38 किमी), सीटीएल में परीक्षण के दौरान विफल (14 मई 2018) हो गई थी एवं इसलिए इसे अस्वीकृत (नवंबर 2018) कर दिया गया था। जयपुर डिस्कॉम क्यूए योजना की गुणवत्ता निगरानी जांचों को आश्वस्त करने में विफल रहा क्योंकि इसने परीक्षण में सामग्री की विफलता के महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की एवं अपने स्वयं के आदेशों में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लधंन करते हुए परीक्षण की आवश्यकता में छूट प्रदान की। इस प्रकार, जयपुर डिस्कॉम ने कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अजमेर डिस्कॉम ने आदेश जारी होने के पश्चात भी सीटीएल परीक्षण में छूट नहीं दी एवं आगामी आदेश में सीटीएल छूट हेतु मदों को भी निर्दिष्ट किया (फरवरी 2018)। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम के अभिलेखों में सीटीएल परीक्षण हेतु मदों को निर्दिष्ट किए जाने वाला छूट आदेश नहीं पाया गया था।

(ii) इसके अतिरिक्त, नौ चयनित परियोजनाओं में से किसी में भी सीटीएल में परीक्षण हेतु कार्यस्थल से सामग्री के नमूने प्राप्त नहीं किए गए थे। यह दर्शाता है कि डिस्कॉम्स ने जीसीसी के वाक्यांश 21 स के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की। परिणामस्वरूप, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त नियंत्रण हेतु सम्मिलित किये गये इस वाक्यांश का उददेश्य विफल हो गया था।

सरकार ने कहा कि आरएचएच विद्युतीकरण कार्य में तीव्रता लाने एवं मार्च 2018 तक सभी के लिए विद्युत सुनिश्चित करने हेतु, जयपुर डिस्कॉम ने आरएचएच विद्युतीकरण हेतु आवश्यक सभी सामग्रियों के लिए सीटीएल परीक्षण की आवश्यकता में छूट प्रदान की थी। तथापि, निर्माताओं के कार्यस्थल पर सामग्री का प्रेषण से पूर्व निरीक्षण संयुक्त रूप से आरईसी के साथ किया गया था।

तथ्य यह रहा कि जयपुर डिस्कॉम ने सीटीएल में कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री की नमूना जाँच संबंधी संविदा की शर्तों की अनुपालना नहीं की थी एवं इस प्रकार, परियोजनाओं को क्रियान्वित

---

60 ब्रैकेट सहित सस्पेंशन क्लैंप, ब्रैकेट सहित डेड एंड क्लैम्पस, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसीटी टाइप ए, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसी टाइप बी, जीआई स्टे सेट 16 एमएम, 11 केवी वीसीबी कियॉस्क एवं 11 केवी सीटी पीटी सेट (200/5 एम्प।)

61 ब्रैकेट सहित सस्पेंशन क्लैंप, ब्रैकेट सहित डेड एंड क्लैम्पस, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसीटी टाइप ए, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसी टाइप बी, 11 केवी ड्रॉप आउट कम आइसोलेटर, एसीएसआर वीजल कंडक्टर, एलटी पिन इंसुलेटर, वीजल पीजी क्लैंप एवं 11 केवी एंड टर्मिनेशन किट ।

करने में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया। साथ ही, उत्तर जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी किए गये आदेश में अस्पष्टता के मुद्दे पर मौन था जिसके कारण इसके विभिन्न वृत कार्यालयों द्वारा आदेशों की गलत व्यास्था की गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जीसीसी के वाक्यांश 21स के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं किए जाने के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में विफल सामग्री का उपयोग

4.9 (i)अजमेर डिस्कॉम की एक चयनित परियोजना (सीकर वृत्त) के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि मैसर्स स्वास्तिका इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में स्वस्तिका इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में जाना जाने वाला ठेकेदार) ने नीचे सारणीबद्ध सामग्री का उपयोग किया, जिसके लिए प्रेषण निर्देश (डीआई) वृत्त कार्यालय द्वारा जारी किये गये थे, लेकिन बाद में सीटीएल में परीक्षण के दौरान विफल घोषित की गई थी।

तालिका संख्या 4.1

सीटीएल में परीक्षण के दौरान विफल मदों का विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	दिनांक जिस पर डीआई जारी किए गये	मात्रा जिसके लिए डीआई जारी किए गये (संख्या)	सीटीएल परीक्षण की दिनांक	सीटीएल परीक्षण में विफल मात्रा	अस्वीकृत/ प्रतिस्थापन हेतु ठेकेदार को सूचित करने की तिथि	चालू बिल	दावा पारित किए जाने का माह
1	डिस्क एच/ डब्ल्यू फिटिंग टाईप 45 केएन	06.12.18	514	18.02.19	514	03.04.19	आर ए 11 एवं 12	मार्च 2019
2	जीआई स्टे सेट 20*2400 एमएम	06.12.18	166	18.02.19	166	03.04.19	आर ए 15 एवं 17	जनवरी एवं अप्रैल 2020

स्त्रोतः सीटीएल प्रतिवेदन एवं भण्डाक पंजिका

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीकर वृत्त कार्यालय ने सीटीएल के परीक्षण में सामग्री की विफलता के बारे में ठेकेदार को सूचित करने में 44 दिवसों का समय लिया। इसी बीच, ठेकेदार ने इन मदों का उपयोग मार्च 2019 से अप्रैल 2020 के मध्य किया एवं इस अवधि के दौरान प्रस्तुत चालू बिलों में इसका दावा किया। यह सामग्री सीटीएल में परीक्षण पास नहीं कर सकी क्योंकि यह भार सहन नहीं कर सकी। इसके उपरांत भी, सीकर वृत्त कार्यालय ने ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करने के स्थान पर, सभी चालू बिलों को पारित (मार्च 2019 एवं अप्रैल 2020 के मध्य) किया एवं तदनुसार भुगतान जारी कर दिया गया।

सरकार ने कहा (जून 2021) कि प्रकरण की जाँच की जाएगी एवं डिस्कॉम्स द्वारा सुधारात्मक उपाय लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए लिए जाएंगें। तथापि, प्रकरण में आगे का प्रत्युत्तर नवम्बर 2021 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ii) इसी प्रकार, जोधपुर डिस्कॉम्स की चयनित परियोजनाओं में से एक (बाड़मेर लॉट-II टीएन-360) में, वृत्त कार्यालय ने 16 एमएम व्यास 2 मीटर लंबी एमएस टाइप अर्थिंग रॉड के 500 सेट की आपूर्ति हेतु प्रेषण निर्देश जारी किए (21 मार्च 2018)। सामग्री की प्राप्ति (अप्रैल 2018) के पश्चात, मैसर्स स्टार राइजिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) ने विद्युतीकरण

कार्य के लिए इसका उपयोग किया एवं चालू बिल में इसका दावा किया (मार्च 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभारी अभियंता ने बिल का सत्यापन किया एवं इसे सीपीसी को इस टिप्पणी के साथ भुगतान के लिए भेज दिया (मार्च 2019) कि सामग्री सीटीएल टेस्ट में पास हो गई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रभारी अभियंता ने चालू बिल पर गलत टिप्पणी की क्योंकि सामग्री को पूर्व में ही सीटीएल में परीक्षण में विफल घोषित (सितंबर 2018) कर दिया गया था।

सरकार ने कहा कि जोधपुर डिस्कॉम ने प्रकरण कि जांच की एवं ठेकेदार से ₹1.46 लाख की वसूली की।

उत्तर के साथ प्रभारी अभियंता के विरूद्व की गई जांच एवं जोधपुर डिस्कॉम द्वारा की गई वसूली के संबंध में दस्तावेज नहीं थें।

इस प्रकार, दोनों डिस्कॉम्स योजना के अन्तर्गत किए गए तंत्र सुदृढ़ीकरण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहे।

परियोजना प्रबंधन एजेंसी का प्रदर्शन

4.10 परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के दिशानिर्देशों में जैसा कि परिभाषित किया गया था, पीएमए बोली प्रक्रिया की निगरानी एवं समन्वय; परियोजना नियोजन व कार्यान्वयन; गुणवत्ता निगरानी व एमआईएस तथा वेब पोर्टल अद्यतन के लिए उत्तरदायी था।

पीएमए के कार्यादेश में निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार, पीएमए द्वारा योजना की डीपीआर वार मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करने एवं एक समेकित प्रतिवेदन तैयार करके डिस्कॉम्स को, आगे आरईसी को जमा करवाने हेतु, प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी। पीएमए द्वारा भौतिक/वित्तीय रूप से परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी एवं इसके मासिक प्रतिवेदन के संबंध में पीएमए के प्रदर्शन पर चर्चा नीचे की गई है:

(i) परियोजनाओं का भौतिक कार्यान्वयन

पीएमए को सुपुर्द कार्यों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सभी तीनों डिस्कॉम्स के पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) प्रस्तुत किए। मैसर्स मेधाज (अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में नियुक्त पीएमए) द्वारा प्रस्तुत एमपीआर के लेखापरीक्षा विश्लेषण में निष्पादित कार्यों की भौतिक प्रगति, सामग्री आपूर्ति एवं निर्माण की स्थिति, बीपीएल एवं एपीएल कनेक्शन की उपलब्धि आदि के संबंध में विभिन्न विवरण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई कार्यों के सत्यापन के दौरान इसके द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं की स्थिति भी प्रस्तुत की। पीएमए द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं की परियोजना-वार अद्यतन स्थिति एवं अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स/संबंधित टर्नकी ठेकेदारों द्वारा उनके सुधार को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका संख्या 4.2

30 नवम्बर 2020 को देखी गई एवं सुधार की गई गैर–अनुरूपताओं की परियोजना–वार स्थिति

डिस्कॉम	परियोजना का नाम	पीएमए द्वारा देखी गई गैर–अनुरूपताओं की संख्या	टर्नकी ठेकेदारों द्वारा सुधार की गई गैर–अनुरूपताओं की संख्या	सुधार हेतु लंबित गैर–अनुरूपताएं	सुधार हेतु लंबित गैर–अनुरूपताओं की प्रतिशतता
अजमेर डिस्कॉम	अजमेर	1968	155	1813	92.12
	भीलवाड़ा	914	0	914	100
	नागौर	683	0	683	100
	झुन्झुनू	1433	663	770	53.73
	सीकर	1144	602	542	47.38
	डूंगरपुर	716	37	679	94.83
	बांसवाडा	1984	183	1801	90.78
	चित्तौडगढ़	1528	113	1415	92.60
	राजसमंद	1234	0	1234	100
	प्रतापगढ़	1205	171	1034	85.81
	उदयपुर	1658	0	1658	100
	एवीवीएनएल	**14467**	**1924**	**12543**	**86.70**
जोधपुर डिस्कॉम	जैसलमेर	535	436	99	18.50
	बाड़मेर	547	547	0	0
	जोधपुर	816	779	37	4.53
	बीकानेर	84	10	74	88.10
	श्रीगंगानगर	73	69	4	5.48
	हनुमानगढ़	2596	79	2517	96.96
	चुरू	594	357	237	39.90
	सिरोही	4672	4130	542	11.60
	पाली	180	93	87	48.33
	जालौर	2188	1	2187	99.95
	जेडीवीवीएनएल	**12285**	**6501**	**5784**	**47.08**

स्रोतः पीएमए के मासिक प्रगति प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमए द्वारा प्रतिवेदन की गई गैर-अनुरूपताओं की प्रकृति में सम्मिलित हैं:

- डीटीआर पर डेंजर बोर्ड एवं लाइटनिंग अरेस्टर प्रदान नहीं करना;
- डीटीआर/पोल पर लाईटनिंग अरेस्टर/डी.ओ.सेट नहीं पाया जाना एवं डीटीआर पर जम्परिंग में पीजी क्लैंप का उपयोग नहीं किया जाना;
- आइसोलेटर बेस चैनल को स्थिर रखने के लिए बोल्ट नहीं लगाया जाना एवं आइसोलेटर को एमएस चैनल के स्थान पर गार्डिंग एंगल पर लगाया गया;
- प्रत्येक रॉड के कनेक्शन हेतु अर्थिंग क्लैंप प्रदान नहीं किए गये, वीसीबी हेतु उपयोग की जाने वाली अर्थिंग स्पाइक जमीन में आवश्यक गहराई तक नहीं डाली गई एवं वीसीबी संरचना को पकड़ने हेतु स्टड प्रदान नहीं किया गया;
- लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट नहीं किये गये, स्वंभों/कंडक्टर का अनुचित स्थापन; टूटे/झुके हुए स्वंभे एवं ढीला स्टे वायर; तथा
- टर्नकी ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जाना इत्यादि।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएमए द्वारा ऐसी सभी गैर-अनुरूपताओं की सूचना अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2020 के दौरान एमपीआर में दी गई थी। तथापि, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स दोनों ने संबंधित टर्नकी ठेकेदारों के माध्यम से इन गैर-अनुरूपताओं को सुधारने हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए थे। गैर-अनुरूपताओं को सुधारने में दोनों डिस्कॉम्स का प्रदर्शन बेहद कमजोर था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 86.70 प्रतिशत एवं 47 प्रतिशत गैर-अनुरूपताएं पांच माह से 35 माह के मध्य अवधि हेतु सुधार हेतु लंबित थी (30 नवंबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मैसर्स फीडबैक (जयपुर डिस्कॉम का पीएमए) ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की केवल भौतिक प्रगति की सूचना दी (सॉफ्ट कॉपी एक्सेल प्रारूप में)। विस्तृत एमपीआर जिसमें विभिन्न विवरण यथा सामग्री आपूर्ति एवं निर्माण की स्थिति, बीपीएल एवं एपील कनेक्शनों की उपलब्धि, निष्पादित कार्यों में गैर-अनुरूपता आदि अभिलेखों में नहीं पाए गए। इस प्रकार की जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा पीएमए द्वारा डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता के सत्यापन एवं निगरानी के उद्देश्य से किये गये क्षेत्र निरीक्षण के प्रदर्शन को प्रमाणित नहीं कर सका। साथ ही, गैर-अनुरूपताओं को सुधारने के संबंध में जयपुर डिस्कॉम के साथ-साथ संबंधित टर्नकी ठेकेदारों के प्रदर्शन का भी आंकलन नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के पीएमए द्वारा देखी गई सभी गैर अनुरूपताओं को सुधार दिया गया है। तथापि, गैर अनुरूपता जैसे डेंजर प्लेट की स्थापना, लाइटनिंग अरेस्टर इत्यादि ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई थी एवं इसलिए इन्हें आरईसी को छूट प्रदान किए जाने हेतु भिजवाया गया था। इसने आगे कहा कि जयपुर डिस्कॉम के पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई के एमआईएस पोर्टल पर साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर कार्यों की भौतिक प्रगति को अद्यतन किया एवं सभी आवश्यक विवरण साफ्ट प्रति के साथ-साथ हार्ड प्रति में भी प्रदान किए।

तथ्य यही रहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने दोष, जो कि ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में नहीं थे, को सुधारा नहीं था। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम के प्रकरण में, उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पीएमए द्वारा प्रस्तुत भौतिक प्रगति में लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित विवरण सम्मिलित नहीं था।

(ii) निष्पादित कार्यों की वित्तीय प्रगति

कार्यादेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, पीएमए को परियोजना को समय पर पूर्ण करने हेतु व्यय, प्रगति एवं व्यवधान, यदि कोई हो, पर विधिवत रूप से समर्थित एक प्रतिवेदन द्वारा निधि जारी किए जाने हेतु डिस्कॉम्स के दावों की अनुशंसाएं करली थी। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना की पूर्णता एवं किए गए व्यय के संबंध में आरईसी को एक प्रतिवेदन अनुशंसाओं के साथ भी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच ने उजागर किया कि पीएमए द्वारा मासिक आधार पर परियोजना-वार किए गए व्यय की स्थिति मात्र को डीडीयूजीजेवाई पोर्टल पर अपलोड किया गया था जबकि परियोजना-वार एवं मद-वार व्यय के संबंध में पीएमए की सिफारिशें, परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किए जाने में व्यवधान इत्यादि, जो कि निधि जारी करने हेतु डिस्कॉम्स के दावों के साथ प्रस्तुत की जानी थी, अभिलेखों में नहीं पायी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि जोधपुर एवं जयपुर डिस्कॉम के पीएमए ने पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं एवं उन पर किये गये व्यय के संबंध में अपने प्रतिवेदन,

इस तथ्य के पश्चात भी कि जोधपुर डिस्कॉम की समस्त परियोजनाएं तथा जयपुर डिस्कॉम की नौ परियोजनाएं मार्च 2020 एवं सितम्बर 2020 के मध्य पूर्ण हो गई थी, प्रस्तुत नहीं किए थे।

डिस्कॉम्स/पीएमए द्वारा आरक्यूएम की अनुपालना

4.11 गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के अंतर्गत, आरक्यूएम द्वारा डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों की अनुपालना एवं प्रणालीगत प्रक्रियाओं इत्यादि की पालना सत्यापित की जानी है। साथ ही, डिस्कॉम्स को आरक्यूएम द्वारा उठाए गए आक्षेपों की अनुपालना किए जाने की आवश्यकता थी एवं अनुपालना के साथ स्थल के छायाचित्र डीडीयूजीजेवाई वेब पोर्टल (सितंबर 2019 के पश्चात से साक्ष्य पोर्टल पर) पर अपलोड किया जाना था।

(i) निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना

गुणवत्ता निगरानी हेतु आरईसी (आरक्यूएम) की नामित एजेंसियों[62] ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डिस्कॉम्स द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किया एवं क्षेत्र निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की अनुपालना हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या एवं डिस्कॉम्स द्वारा की गई अनुपालना की 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका संख्या 4.3

31 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं डिस्कॉम्स द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति

डिस्कॉम	श्रेणी	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने की समयावधि	किए गए अनुपालना की संख्या	प्रतिवेदन की अनुपालना किए जाने की समयावधि	अनुपालना किए जाने में लिए गये दिनों की समयावधि
जयपुर	गांव	4	8.1.2020 से 27.1.2020	4	26.6.2020 से 27.8.2020	158 से 213 दिन
	एसएस	32	3.9.2019 से 25.2.2020	31	3.12.2019 से 27.8.2020	34 से 355 दिन
	फीडर	82	30.12.2019 से 8.6.2020	82	30.1.2020 से 8.12.2020	15 से 329 दिन
अजमेर	गांव	424	11.9.2019 से 12.11.2020	303	17.12.2019 से 8.2.2021	25 से 500 दिन
	एसएस	70	6.9.2019 से 20.2.2020	70	16.5.2020 से 15.1.2021	115 से 477 दिन
	फीडर	32	14.10.2019 से 18.2.2020	25	12.2.2020 से 8.2.2021	30 से 484 दिन
जोधपुर	गांव	424	15.7.2019 से 1.4.2020	424	18.11.2019 से 29.6.2020	44 से 334 दिन
	एसएस	9	9.1.2020 से 20.2.2020	5	22.2.2020 से 18.11.2020	44 से 297 दिन
	फीडर	15	13.1.2020 से 20.2.2020	15	3.3.2020 से 20.9.2020	25 से 250 दिन

स्त्रोत: साक्ष्य पोर्टल

62 जयपुर डिस्कॉम-वोयेन्ट्स, अजमेर डिस्कॉम-आरईसीपीडीसीएल, जोधपुर डिस्कॉम-आरईसीपीडीसीएल।

(ii) दोषों का सुधार

आरक्यूएम के निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित किए गये दोषों की प्रकृति को 'गंभीर' 'प्रमुख' एवं 'गौण' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आरईसी निरीक्षण संवीक्षा सूची के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण, सब-स्टेशन (एसएस) एवं फीडर के संबंध में 'गंभीर' एवं 'प्रमुख' के अधीन अन्तर्गत वर्गीकृत दोष **अनुबंध-4** में दर्शाये गये है। अवलोकित किए गए दोषों, सुधार किए गए, लंबित इत्यादि की संख्या के संबंध में साक्ष्य पोर्टल की नवीनतम स्थिति (जनवरी 2021) नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका संख्या 4.4

अवलोकित किए गए दोषों, सुधार किए गए, लंबित दोषों की संख्या की स्थिति

डिस्कॉम	श्रेणी	अवलोकित दोषों की संख्या	सुधारे गए दोषों की संख्या	दोष, जो ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में नहीं थे	लंबित दोष
जयपुर	गांव	1188	40	14	1134
	एसएस	500	109	377	14
	फीडर	1255	914	341	0
अजमेर	गांव	12170	3525	1665	6980
	एसएस	1720	262	1143	315
	फीडर	687	292	142	253
जोधपुर	गांव	6720	4940	1186	594
	एसएस	221	27	63	131
	फीडर	90	70	20	0

स्रोतः साक्ष्य पोर्टल

साथ ही, अवलोकित दोषों एवं सुधारे गए दोषों की श्रेणी-वार स्थिति निम्नानुसार थीः

तालिका संख्या 4.5

अवलोकित किए गए दोषों एवं सुधारे गए दोषों की श्रेणी-वार स्थिति

(आंकड़ेः संख्या में)

दोषों की श्रेणी	जयपुर डिस्कॉम			अजमेर डिस्कॉम			जोधपुर डिस्कॉम			योग		
	गांव	एसएस	फीडर	गांव	एसएस	फीडर	गांव	एसएस	फीडर	गांव	एसएस	फीडर
गंभीर	303	110	570	4048	251	248	2119	35	38	6470	396	856
प्रमुख	793	245	579	6898	897	372	3982	119	49	11673	1261	1000
गौण	92	145	106	1224	572	67	619	67	3	1935	784	176
कुल दोष	**1188**	**500**	**1255**	**12170**	**1720**	**687**	**6720**	**221**	**90**	**20078**	**2441**	**2032**
गंभीर	15	45	350	1145	34	92	1486	8	24	2646	87	466
प्रमुख	19	45	472	1908	134	165	2962	12	43	4889	191	680
गौण	6	19	92	472	94	35	492	7	3	970	120	130
कुल सुधारे गये दोष	**40**	**109**	**914**	**3525**	**262**	**292**	**4940**	**27**	**70**	**8505**	**398**	**1276**
गंभीर	288	65	220	2903	217	156	633	27	14	3824	309	390
प्रमुख	774	200	107	4990	763	207	1020	107	6	6784	1070	320
गौण	86	126	14	752	478	32	127	60	0	965	664	46

कुल लंबित दोष	**1148**	**391**	**341**	**8645**	**1458**	**395**	**1780**	**194**	**20**	**11573**	**2043**	**756**
कुल सुधारे गये दोषों का प्रतिशत	3.37	21.80	73.07	28.96	15.23	42.50	73.51	12.22	77.78	42.36	16.30	62.80
दोष जो ठेकेदार के क्षेत्र में नहीं थे	14	377	341	1665	1143	142	1186	63	20	2865	1583	503
दोषों का प्रतिशत, जो ठेकेदार के क्षेत्र में नहीं थे	1.18	75.40	27.17	13.68	66.45	20.67	17.65	28.51	22.22	14.27	64.85	24.75

स्रोतः साक्ष्य पोर्टल

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरक्यूएम के निरीक्षण प्रतिवेदनों में उजागर की गई कमियां 15 दिवसों से 500 दिवसों की सीमा के मध्य अत्यधिक विलंब से सुधारी गई थी। साथ ही, प्रत्येक प्रकार के कार्य यथा ग्राम विद्युतीकरण, एसएस का सुदृढ़ीकरण/निर्माण एवं फीडर का पृथक्करण/निर्माण में आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण के दौरान बडी संख्या में कमियां पाई गई थी। इसने भी इंगित किया कि डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी एवं जवाबदेह डिस्कॉम्स/पीएमए का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। दोषों के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि ग्राम विद्युतीकरण, एसएस के सुदृढ़ीकरण/निर्माण एवं फीडर के पृथक्करण/निर्माण में अवलोकित दोष मुख्य रूप से गंभीर[63] एवं प्रमुख[64] श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेखापरीक्षा के दौरान किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों से भी प्रकट हुआ कि सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों में से 90 प्रतिशत से अधिक ने कार्य के निष्पादन में कम से कम एक या अधिक कमियों को वर्णित किया।

साथ ही, डिस्कॉम्स ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने में भी विफल रहे जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि ठेकेदारों ने 4951 दोषों[65] को सुधारने से इस आधार पर मना कर दिया कि ये प्रदान किए गए कार्य के कार्यक्षेत्र में नहीं थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये सभी दोष अभी भी सुधार हेतु

63 आरई नियमों के अनुसार अर्थ टर्मिनल', 'प्रत्येक 5वें स्तंभे पर अर्थिंग' एवं 'लाइटिंग अरेस्टर'; 'सड़क/नदी/लाईन क्रॉसिंग पर पालना गार्ड', एवं ''नींव का प्रकार कार्यक्षेत्र के अनुसार नहीं;'।

64 स्तंभे पर संख्या, 'वितरण बॉक्स', 'मीटर बोर्ड', 'स्तंभों की गहराई', 'बैटरी टर्मिनलों को मजबूती से कड़ा नहीं किया जाना एवं लग्स के साथ मोड़ा नहीं जाना एवं 'इनडोर केबिल का ठीक से आवरण नहीं किया जाना' इत्यादि।

65 (i) सबस्टेशनों के प्रकरण में नियंत्रण कक्ष में बैटरी, निकास पंखा, एवं नियंत्रण पैनल; 33 केवी वीसीबी के वर्किंग प्लेटफार्म, सबस्टेशन बोर्ड, पॉवर आपूर्ति प्वाइंट, यार्ड ग्रेवलिंग एवं विभाजन दीवार, फीडर ब्रेकर पैनल, ट्रांसफार्मर ब्रेकर पैनल इत्यादि(ii) फीडर के प्रकरण में निम्न तनाव वितरण बॉक्स (एलटीडीबी) एवं (iii) ग्राम स्तर अवसंरचना के प्रकरण में सभी स्तंभों के लिए अर्थिंग एवं आधार इत्यादि।

लंबित थे एवं डिस्कॉम्स को इन दोषों को सुधारने पर अतिरिक्त व्यय करना होगा। इसके अतिरिक्त, कुछ कार्यों की प्रकृति जैसे 'स्तंभों की गहराई', 'उपयोग/निर्माण किया गया आधार का प्रकार' आदि को कार्य निष्पादित किए जाने के पश्चात सुधारा नहीं जा सकता है।

इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों की अनुपयुक्त निगरानी, पीएमए के स्तर पर चालू परियोजनाओं के अपर्याप्त क्षेत्र गुणवत्ता निरीक्षणों एवं प्रत्येक डिस्कॉम स्तर पर निगरानी तंत्र के अभाव ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि डिस्कॉम्स आरक्यूएम की सभी आक्षेपों की अनुपालना करने में प्रक्रियारत है, जिन्हें साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसने आगे आश्वासन दिया कि संविदाओं के समापन से पूर्व आरक्यूएम आक्षेपों की अनुपालना की जाएगी।

तथ्य यह रहा कि अनुपयुक्त निगरानी एवं निरीक्षणों ने योजना के अन्तर्गत निष्पादित परियोजना कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित किया। साथ ही, उत्तर उन दोषों में सुधार करने के मुद्दे पर मौन था जो ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में नहीं थे।

स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर को तैयार किया जाना

4.12 डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के प्रारूप में विभिन्न विवरण जैसे कि वृत्त का नाम, स्थायी परिसंपत्ति समूह, परिसंपत्ति कोड, परिसंपत्ति शीर्ष, परिसंपत्ति का नाम, खण्ड, उप-खण्ड, स्थान, निर्माण वर्ष, मात्रा, सकल राशि, वर्ष के दौरान वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज, उपरिव्यय, सकल पुस्तक मूल्य, मात्रा कटौती, कटौती राशि, वित्तीय वर्ष के अंत में मात्रा एवं राशि सम्मिलित है। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई हेतु पीएमए दिशानिर्देशों के साथ-साथ कार्यादेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सभी तीन डिस्कॉम्स के पीएमए को, डिस्कॉम्स को सृजित संपत्तियों को उनके परिसंपत्ति रजिस्टर में अनिवार्य रूप से जोड़े जाने में सहायता करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी तीनों डिस्कॉम्स के पीएमए ने इस अनिवार्य आवश्यकता की अनदेखी की क्योंकि पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों के विवरण, डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के प्रारूप में संधारित किए जाने में डिस्कॉम्स की सहायता नहीं की थी। चयनित परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित ओएंडएम वृत्त कार्यालयों ने परिसंपत्ति सृजन की जानकारी को अलग प्रकार से संधारित किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 4.6

चयनित परियोजनाओं में डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों के संधारण के विवरण

डिस्कॉम	परियोजना का नाम	संधारित परिसंपत्तियों का विवरण	टिप्पणियाँ
जयपुर	भरतपुर	इन्फ्रा मदों की संख्या अर्थात, दो वित्त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु एसएस एवं लाईनें।	संपत्ति कोड, संपत्ति शीर्ष, निर्माण वर्ष, उपरिव्यय, सकल ब्लॉक मूल्य एवं वर्ष के अंत में मात्रा एवं मूल्य जैसे विवरण नहीं थे।
	बूंदी	सम्पति प्रतिवेदन में तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु ग्राम इंफ्रा के निर्माण में उपयोग किए गये इंफ्रा आइटम	

		अर्थात कंडक्टर, केबिल, स्तंभे, ट्रांसफार्मर एवं अन्य विविध हार्डवेयर का विवरण सम्मिलित।	
	टोंक	इन्फ्रा मदों की संख्या अर्थात, तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु एसएस एवं लाईनें।	
अजमेर	अजमेर बांसवाडा सीकर	ग्राम-वार सृजित आधारभूत संरचना अर्थात ग्राम/ब्लॉक/ग्राम पंचायत/बस्ती का नाम, जनगणना कोड, लाईन की लंबाई, स्तंभों की संख्या, डीटी की संख्या का विवरण।	संपत्ति कोड, संपत्ति शीर्ष, निर्माण वर्ष, उपरिव्यय, सकल ब्लॉक मूल्य एवं वर्ष के अंत में मात्रा एवं मूल्य जैसे विवरण नहीं थे।
जोधपुर	बाडमेर जालौर पाली	ग्राम-वार सृजित आधारभूत संरचना अर्थात ग्राम/ब्लॉक/ग्राम पंचायत/बस्ती का नाम, जनगणना कोड, लाईन की लंबाई, स्तंभों की संख्या, डीटी की संख्या का विवरण।	वित्त वर्ष के अंत में संपत्ति कोड, संपत्ति शीर्ष, निर्माण वर्ष, उपरिव्यय, सकल ब्लॉक मूल्य एवं वर्ष के अंत में मात्रा एवं मूल्य जैसे विवरण नहीं थे।

स्त्रोतः चयनित परियोजनाओं में संधारित ग्राम इन्फ्रा विवरण

इस प्रकार, महत्वपूर्ण विवरणों के अभाव में, डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के सटीक विवरण एवं स्थान की उनके मूल्य सहित पहचान नहीं की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इन सभी तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों हेतु स्थायी संपत्ति रजिस्टर संधारित नहीं किए थे एवं इस पहलू के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गत कई वर्षों में अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लगातार आक्षेप लिया जा रहा है। आक्षेप के उत्तर में, डिस्कॉम्स ने प्रत्येक वर्ष कहा कि परिसंपत्तियां वृहद हैं, क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई हैं एवं स्थायी संपत्ति रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने का कार्य प्रगति पर था एवं डिस्कॉम्स के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रासंगिक जानकारी एकत्र की जा रही थी।

निष्कर्ष

- डिस्कॉम्स ने निगरानी एवं पर्यवेक्षण के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया क्योंकि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु डीईसी की बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं। साथ ही, निष्पादित कार्यों की प्रगति एसएलएससी को प्रस्तुत नहीं की गई थी, यद्यपि, योजना के अन्तर्गत इसकी परिकल्पना की गई थी।
- डिस्कॉम्स गुणवत्ता आश्वासन जांच, कार्य निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के परीक्षण के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं कर सके एवं पीएमए द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं का समय पर अनुपालना सुनिश्चित करने में भी विफल रहे।
- डिस्कॉम्स/पीएमए का प्रर्दशन संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरक्यूएम ने निष्पादित किए गये प्रत्येक प्रकार के कार्य में बड़ी संख्या में गंभीर एवं प्रमुख दोषों को के रूप में खोजा।।

- परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों की अनुपयुक्त निगरानी, चल रही परियोजनाओं का पीएमए स्तर पर अपर्याप्त क्षेत्र गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रत्येक डिस्कॉम के स्तर पर निगरानी तंत्र की अभाव ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

सिफारिशें

डिस्कॉम

- **मौजूदा निगरानी तंत्र का समालोचनात्मक परीक्षण करें एवं इसे सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएं, तथा**
- **सुनिश्चित करें कि पर्याप्त निवारक हैं, सीटीएल विफल सामग्री को प्रयुक्त किए जाने जैसे गंभीर कमियों के प्रति अधिक विशिष्ट रूप से उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय करें।**
- **निष्पादित कार्यो में दोषों का सुधार समय पर सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र विकसित करें।**